

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

Email: dfodoon@gmail.com

Phone/Fax-0135-2627612

पत्रांक- / १०३ / 12-1 देहरादून, दिनांक- २५ /10 / 2024

सेवा में,

वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—07 (स्पर) के भानियावाला— जौलीग्रान्ट—ऋषिकेश किमी0 0.000 से किमी 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 19.8345 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/146663/2021)

संदर्भः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या—8बी/यू.सी.पी./06/66/2023/एफ.सी. दिनांक 27.09.2024 एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक प.का0ई0—वसन्त विहार देहरादून के पत्र संख्या—NHAI/PIU/VV/2023/Bhaniyawala-Rishikesh/Forest/7530, दिनांक 11-10-2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र से 03 बिंदुओं पर आख्या/ अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है, जिसके कम में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को बिंदुवार आख्या उपलब्ध करायी गयी हैं। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव में चाही गयी सचना/आख्या बिंदुवार आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निम्नवत् प्रेषित हैं:--

. د_

		non-forest area and the total length of the project is 19.780 km. Hence, the environment clearance is not required in the subject project. Further, as per point no.03(ii) of MoEF&CC (Wildlife Division) letter dated 16.07.2020, which state that "Proposals involving activity/project located within 10 km of National Park/Wildlife Sanctuary wherein ESZ has not been finally notified and listed in the Schedule of the EIA Notification 2006 and requiring environment clearance, prior clearance from Standing Committee of the National Board for Wild Life will be required". It is ample clear that the subject project is within 10 km of National Park/Wildlife Sanctuary wherein ESZ has not been finally notified and environment clearance is not required according to consent provided by CWLW,Dehradun. Therefore, if Environmental clearance is not required, then wildlife clearance is also not required for the ESZ area. As a result of which this project is free from the restrictions mentioned in the notification.
2	The user agency shall submit proper wildlife mitigation plan with amount details which shall certified by competent authority.	In compliance to point no. 2, Wildlife Management Plan amounting to Rs. 483.83 Lakh, approved by Chief Wildlife Warden, Uttarakhand, and Soil & Moisture Conservation Plan of Rs. 120.98 Lakh, approved by CF Shivalik Circle have been enclosed and uploaded on the portal in additional information.
3	The Site Inspection Report (SIR) of DFO is required in attached format.	In response to point no. 3, The Site Inspection Report (SIR) in the required format has been enclosed and uploaded on the portal in additional information.

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

त्रागाय वनाधिकारी दिहरादून वन प्रभाग, देहरादून। र

<u>чліक</u>]963 तद्दिनांकित । / 12-1

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प.का0ई0–वसन्त विहार, देहरादून ।

प्रमागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।